


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज
मुकदमा संख्या : 226 / 2022
विकास चन्द्र बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में तारीख है।

9.12.22

तहसीलदार झुंझुनू से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बुडाना में खाता सं. 286 में विकासचन्द्र पिता सन्तकुमार शर्मा तथा खाता सं. 431 में विकास चन्द्र पिता सन्तकुमार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दरतावेजों आधार कार्ड में विकासचन्द्र की जगह विकास चन्द्र तथा सन्तकुमार की जगह सन्तकुमार शर्मा है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप खण्ड जज
झुंझुनू (रा.व.)